कार्यालय प्राचार्य

शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

फोन नं. 0788.2211688, फैक्स नं. 0788.2212030

Website: www.govtsciencecollegedurg.ac.in

क्रमांक / 611 / 2024 दुर्ग, दिनांक 13/07/2024

अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक द्वारा अध्यापन व्यवस्था हेतु

प्रकाशित विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन

उच्च शिक्षा विभाग (मंत्रालय) नया रायपुर अटल नगर (मंत्रालय) नया रायपुर अटल नगर का आदेश क्रं. 77/नि.स./य./उ.शि/2024, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12.07.2024 के पालनार्थ, महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति क्रं. 633/2024 दुर्ग दिनांक 09.07.2024 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है ।

1. महाविद्यालय में पूर्व से अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत श्रेणी 1, 2, तथा 3 पदों पर कार्यरत उम्मीदवार यथावत कार्य करेंगे यदि वे अर्हताए पूर्ण करते हो ।
2. अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगा ।

अतः पूर्व में महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि प्राध्यापक अपनी योग्यता तथा पूर्व में किये कार्यो के साक्ष्य के साथ अथवा आवेदन पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति 633/220, दिनांक 09.07.2024 के पालनार्थ महाविद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक से दिनांक 20.07.2024 तक प्रस्तुत करेंगे । पूर्व में कार्यरत अतिथि व्याख्याता द्वारा अहर्ता पूर्ण करने के पश्चात् यदि रिक्त स्थान रहता है तब अन्य प्राप्त आवेदन पर विचार किया जायगा ।

प्राचार्य

शास. वि. या. ता. स्नात. स्वशासी महावि.,

दुर्ग (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
: मंत्रालय :
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 77/नि.स./स./उ.शि./2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12.07.24

प्रति,

1. **कुलसचिव,**
   समस्त राजकीय विश्वविद्यालय।
   छत्तीसगढ़।

2. **प्राचार्य**
   समस्त शासकीय महाविद्यालय
   छत्तीसगढ़।

विषयः– **अतिथि व्याख्याता नीति–2024 संबंधी।**
संदर्भः– **1. उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कं. एफ–3–54/स्था/2020/38–1 दिनांक 20.06.2024**
2. पत्र कं. 574/126/आउशि/राज.स्था./2024 दिनांक 06.07.2024

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से अतिथि व्याख्याता नीति–2024 जारी की गई थी। इस संबंध में निम्नानुसार संशोधन जारी किये जाते हैंः–

1. कंडिका कं. 5.1 :– **"अतिथि व्याख्याता एवं अन्य"** के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। विनियम, 2018 के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, **अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)** एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

2. अतिथि व्यवस्था अंतर्गत मूल्यांकन प्रपत्र (परिशिष्ट–5) में **अध्यापन के कुल अंक 40** एवं **परीक्षा परिणाम के कुल अंक 20 निर्धारित है।**

निरंतर........

इस नीति में निम्नानुसार स्पष्टीकरण किया जाता हैः–

1. शासकीय महाविद्यालय एवं राजकीय विश्वविद्यालय में पूर्व से अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत् श्रेणी 1, श्रेणी 2 एवं श्रेणी 3 के पदों को रिक्त नहीं माना जावेगा एवं वे यथावत कार्य करते रहेंगे। अतिथि व्याख्याता नीति–2024 अनुसार सभी लाभ प्राप्त करेंगे।
2. माननीय उच्च न्यायालय के याचिका क्रं. डब्ल्यू.पी.एस. क्रं. 5232/2023 एवं अन्य याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 26.06.2024 में पूर्व में दिये गये सभी स्थगनों को हटा दिया गया है एवं उल्लेखित किया गया है कि "Guest Lecturers to be appointed in the academic session 2024 strictly in accordance with the policy 2024 frame by the state regarding engagement of Guest Lecturers in the government colleges." । अतः श्रेणी 1, श्रेणी 2 एवं श्रेणी 3 के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थियों के पदों को रिक्त मानते हुए अतिथि व्याख्याता नीति–2024 के अनुसार विज्ञापन जारी कर अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था करने की प्रक्रिया की जाए।

12/7

(प्रसन्ना आर.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक 78 /नि.स./स./उ.शि./2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12.07.24

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी सह माननीय मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री सचिवालय, महानदी भवन, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।

(प्रसन्ना आर.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग